

मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर - दिसंबर, 2000 सत्र

विधेयक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 13 नवम्बर, 2000 (कार्तिक 22, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्राइवेट

पृथकता: वितरित सूची में समिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हरवेश सिंह, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-का की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 24 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1996-99 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री के.पी. सिंह, ग्राम्योदय मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-का की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का पन्द्रहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के आधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन के फलस्वरूप नव गठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कर्मचारियों का बेटवारा मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप न होने से उत्पन्न विधियों की ओर राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, बाबूलाल गौर, सदस्य, सागर विधेयक संशोधन बल की बटालियन को जबरिया नये छत्तीसगढ़ राज्य में भेजे जाने से उत्पन्न विधियों की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. शासकीय विधि विवरक कार्य

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास और पद्धतिगत मंत्री, मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व विधेयक, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव दियेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री बाला बच्चन, राज्यमंत्री सार्वजनिक उपक्रम, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का लोक सेवा में संविलयन प्रतिषेध विधेयक, 2000 (क्रमांक 27 सन् 2000) पर विचार किया जाय।

उपर प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डन: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

5. प्रतिवेदनों पर चर्चा

उपर प्रस्ताव लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का सोलहवाँ एवं सत्रहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 एवं 1998-99, लोक आयुक्त संगठन का सोलहवाँ एवं सत्रहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 व्याख्यातमक जापन तथा मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के सोलहवाँ एवं सत्रहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन के अंतर्गत अंश का हिन्दी रूपान्तर पर चर्चा।

भोपाल :
दिनांक : 12 नवम्बर, 2000

के.पी. लिवार्डी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।